राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/2020/**49;** दिनांकः 20 अगस्त 2020

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित/स्ववित्त संसाधन प्रबंधन/जनसहयोग/प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के निःशुल्क सहयोग से विद्यार्थियों के लिये रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण आरम्भ करवाये जाने बाबत।

सन्दर्भ : बजट घोषणा 2020 के बिन्दु संख्या 101 के कम में।

लेख है कि बजट घोषणा 2020 के बिन्दु संख्या 101 की कियान्विति में चयनित राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित/स्ववित्त संसाधन प्रबंधन/जनसहयोग/प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के निःशुल्क सहयोग से महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण आरम्भ करवाये जाने हैं। इस संबंध में लेख है कि –

1. इस कार्यक्रम को चरणवार आरम्भ करवाया जा रहा है जिसमें वे जिसमें प्रथम चरण में जिला/उपखण्ड मुख्यालय स्थित बडे राजकीय महाविद्यालयों को सम्मिलित कर कौशल प्रशिक्षण आरम्भ करवाये जाने है, ताकि अन्य महाविद्यालयों को रोल मॉडल भी मिल सकें और उन्हें अपने यहां इन प्रशिक्षणों को आरम्भ करने में मार्गदर्शन/सुविधा मिल सके।
2. प्रथम चरण में जिला/उप जिला मुख्यालयों पर स्थित बडे राजकीय महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए 50 राजकीय महाविद्यालयों को सूचीवद्ध किया गया है। द्वितीय चरण में पुनः अन्य 50 राजकीय महाविद्यालयों को नामित करके यह कार्यक्रम आरम्भ करवाया जा सकेगा। इसके बाद तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में सभी राजकीय महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
3. **कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश निषिद्ध रहने तक ये रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण केवल ऑन–लाइन मोड में ही आयोजित करवाये जावेंगे।** कोरोना महामारी जन्य परिस्थितियां सामान्य होने पर **महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश अनुमत हो जाने की स्थिति में प्रत्यक्ष कक्षा आधारित मोड पर आयोजित करवाये जायेंगे।** इन रोजगारेान्मुख कौशल प्रशिक्षणों का ऑन–लाइन कार्यक्रम युवाओं को उनकी नियमित पढाई के साथ–साथ अतिरिक्त दक्षता हांसिल करवाना है ताकि उनके दक्षता विकास के साथ–साथ उनके समय का सकारात्मक सदुपयोग हो सके।
4. चयनित रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों की मांग एवं महाविद्यालय की सुविधा का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।
5. **इस रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय द्वारा वांछित वित्तीय संसाधन स्वयं के स्तर पर ही प्रबंधित करने होंगे। इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार/विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं**

करवाई जायेगी। तथापि, महाविद्यालय द्वारा किये गये अनुरोध पर यदि किसी संस्था/विभाग को निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर की ओर से पत्र प्रेषित कर सहायता की जा सकती है। महाविद्यालय द्वारा वांछित वित्तीय संसाधन हेतु स्ववित्तपोषित मोड जिसमें विद्यार्थियों से उपयुक्त न्यूनतम शुल्क लेकर अथवा महाविद्यालय में उपलब्ध वित्तीय संसाधन का उपयोग करके अथवा जनसहयोग प्राप्त कर अथवा किन्हीं प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सम्पर्क किया जा सकता है। इस संबंध में न्यूनतम वित्तीय भार का आकलन एवं वित्तीय प्रबंधन दोनों ही कार्य महाविद्यालय स्तर पर किये जाने हैं।

6. स्ववित्तपोषित मोड में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन की स्थिति में इन रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमान्तर्गत इनमें स्थान उपलब्ध होने पर महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। परन्तु यह पूर्णतः महाविद्यालय का विवेकाधिकार रहेगा।
7. इन रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र पर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान एवं संबंधित महाविद्यालय का लोगो ''प्रतीक चिन्ह'' लगाया जायेगा।
8. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त प्रमाण पत्र महाविद्यालय के स्तर से जारी किया जावेगा, जिस पर प्राचार्य एवं कार्यक्रम प्रभारी दोनों के हस्ताक्षर करवाये जा सकते हैं। किसी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण करवाये जाने की स्थिति में उस संस्था का लोगो ''प्रतीक चिन्ह'' लगवाकर संस्था प्रमुख/सक्षम/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये जा सकेंगे।
9. इन रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षणों का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार योग्य क्षमता प्रदान करना है, ताकि वे सफल उद्यमी अथवा रोजगार हुनर प्राप्त कर सकें। **ये रोजागरोन्मुख कौशल प्रशिक्षण किसी भी रुप में रोजगार प्राप्ति की गारण्टी नही हैं।**
10. इन रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षणों का समय महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय की सुविधा आधार पर निर्धारित किया जायेगा।
11. प्रथम चरण में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया है –

1.	Govt. College Ajmer	2.	Govt. BSR Arts College Alwar
3.	Govt. College Banswara	4.	Govt. College Baran
5.	Govt. College Barmer	6.	Govt. MSJ College Bharatpur
7.	Govt. MLV College Bhilwara	8.	Govt. Dungar College Bikaner
9.	Govt. College Bundi	10.	Govt. College Chittorgarh
11.	Govt. Lohia College Churu	12.	PNKS Govt. College Dausa
13.	Govt. College Dholpur	14.	Govt. College Dungarpur
15.	Govt. College Hanumangarh	16.	Govt. College Jaipur
17.	Govt. College Jaisalmer	18.	Govt. College Jalore
19.	Govt. College Jhalawar	20.	Govt. College Jhunjhunu
21.	Govt. College Jodhpur	22.	Govt. College Karauli
23.	Govt. College Kota	24.	Govt. College Nagaur
25.	Govt. Bangur College Pali	26.	Govt. College Pratapgarh

27.	Govt. College Rajsamand	28.	Govt. College Sawai Madhopur
29.	Govt. College S. Ganganagar	30.	Govt. Science College Sikar
31.	Govt. College Sirohi	32.	Govt. College Tonk
33.	Govt. Meera Girls College Udaipur	34.	Govt. College Kishangarh, Ajmer
35.	Govt. GD Girls College Alwar	36.	Govt. Girls College Baran
37.	Govt. RD Girls College Bharatpur	38.	Govt. College Kotputli
39.	Govt. College Kaladera	40.	Govt. College Sambharlake
41.	Govt. Arts Girls College Kota	42.	Govt. Arts College Kota
43.	Govt. Girls College Sikar	44.	Govt. Girls College S. Ganganagar
45.	Govt. Arts College Sikar	46.	Govt. College Abu Road
47.	Govt. College Balotra	48.	Govt. Girls College Ajmer
49.	Govt. RR College Alwar	50.	Govt. MS College Bikaner

चयनित महाविद्यालय दिनांक 31 अगस्त 2020 तक अपने प्रस्ताव तैयार करके निदेशालय को कौशल विकास की ई–मेल **skill.cceraj@gmail.com** पर **प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

महाविद्यालय में गठित नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से इस कार्यक्रम की क्रियान्विति करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डा. विनोद कुमार भारद्वाज से उनके मोबाइल नम्बर 9414304650 निम्न सम्पर्क करें।

सन्देश नायक, IAS
निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/2020/**50-51** ; दिनांकः 20 अगस्त 2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जपयुर।
5. संयुक्त निदेशक, HRD/Acad./Adm./PI/ RUSA/P&C/RVRES आकाशि, जयपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, महाविद्यालय समूह, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. संबंधित नामित संकाय सदस्य, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
9. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड / ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

20/8/2020
डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ